

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ./तक./उवसं/2021-22/3918

दिनांक :- 27/06/2022

निमित्त ,

अधिशाषी अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड प्रथम, प्रतापगढ़ (राज.)

विषय:- Widening & Stentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 K.M to 59/0 K.M & 76/0 K.M to 98/0 K.M (SH-81) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि के आवंटन संबंध में। (FCA Proposal No.- FP/RJ/ROAD/143853/2021)

प्रसंग:- जिला कलक्टर प्रतापगढ़ का आदेश क्रमांक 2201-06 दिनांक 31.05.2022 एवं 2270-75 दिनांक 13.06.2022 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त प्रत्यावर्तन प्रकरण में प्रांसगिक आदेश द्वारा जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़ ने राजस्व गांव आमलीखोरा के खसरा नम्बर 59 कुल रकबा 6.80 हैक्टर में से 3.468 हैक्टर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवटित कि गई है। आप जिला कलक्टर के आदेशानुसार तहसीलदार प्रतापगढ़ से सम्पर्क कर के आवटित गैर वन भूमि का चार्ज हस्तान्तरण क्षेत्रीय वन अधिकारी देवगढ़ को करावे तथा फोरेस्ट परिवेश वेब पोर्टल पर पार्ट I के बिन्दु संख्या L में आवटित गैर वन भूमि का आदेश, जमाबन्दी, खसरा मानचित्र, डिजिटल मानचित्र, जी.टी शिट पर दर्शाते हुए ऑनलाइन पुर्ति करे तथा उक्त आवटित भूमि पर प्रति है0 200 पोधो का रोपण किया जाना ही संभव है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण के तहत 1000 पोधे प्रति है0 का रोपण किया जाना होता है उक्त प्रत्यावर्तन प्रकरण में शेष पोधो के रोपण हेतु इस कार्यालय द्वारा परिभाषित वन भूमि का चयन किया जा रहा हैं यदि आप सहमत हो तो आप सहमति प्रदान करने का अण्डरटेकिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

भवदीय

(सुनील कुमार, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

दिनांक :-

क्रमांक:-एफ./तक./उवसं/2021-22/

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

01. जिला कलक्टर प्रतापगढ़ को प्रांसगिक आदेश के क्रम में निवेदन है कि आवटित गैर वन भूमि का चार्ज हस्तान्तरण हेतु तहसीलदार प्रतापगढ़ को पांबद करे कि आवटित गैर वन भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रतापगढ़ कि जगह क्षेत्रीय वन अधिकारी देवगढ़ हस्तान्तरण करे।
02. सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़।
03. क्षेत्रीय वन अधिकारी देवगढ़ को दी जाकर लेख है कि आवटित गैर वन भूमि का चार्ज तहसीलदार प्रतापगढ़ से प्राप्त कर के रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

-sd-
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़